ओम प्रकाश मीणा निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :— 24/2024

जीसीएमएस नं. :— 2024/102

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-05-2024	—: निर्णय :—	

—: निर्णय :—

17-05-2024

1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन—पत्र दिनांक 18.03.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेसपोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक/आरटीआई/2024/944 दिनांक 07.05.2024 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 810 दिनांक 08.04.2024 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई है।

4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा परिकथन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा आवेदन के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना न्यायालय पत्रावली एवं तृतीय पक्षकार की होना बताया गया है, जबकि लोक सूचना अधिकारी को तृतीय पक्षकार की सूचना के संबंध में तृतीय पक्ष को नोटिस जारी कर उसका प्रत्युतर प्राप्त करना चाहिए।

5. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित जवाब, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिकथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 18.03.2024 के बिन्दु संख्या—3 सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई है, किन्तु आवेदन के बिन्दु संख्या—1 व 2 की सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी/प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

6. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या—1 व 2 की सूचना यदि तृतीय पक्षकार से संबंधित है, तो उक्त बिन्दुओं की सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर प्रार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 17-05-2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर

भीलवाड़ा